कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 503 /14–1, दिनांकःअलीगढ़, जुलाईः 29- ,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम–1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **जनपद–एटा के अन्तर्गत एटा रेलवे स्टेशन से 2 x 660 वाट जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना तक (19.603 किमी0) में प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में एटा वन प्रभाग की प्रभावित होने वाली (0.3683 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 3.8386 आरक्षित वन भूमि) कुल 4.2069 हे0 भूमि का गैर वानिकी प्रयोग में 05 वृक्ष व 228 पौधे/झाड़ी के पातन की सक्षम स्तर से अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0–FP/UP/TRANS/47261/2020)**

सन्दर्भः 1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक– 2599 /11.सी FPUPITRANS47601/2018 लखनऊ, दि0-09-04-2021, 2–इस कार्यालय की पत्र संख्या 429/14–1 दिनांक 23.07.2021, 461/14–1 दिनांक 27.07.2021 एवं 502/14–1 दिनांक 29.07.2021, 3–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा का पत्रांक–49/5–1 दिनांक 08.07.2021 एवं पत्रांक–152/14–1 दिनांक 26.07.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपके सन्दर्भित पत्र से उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा के द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। बिन्दुबार आख्या संस्तुति सहित आख्या निम्नवत संलग्न कर प्रेषित है।

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही हो तो प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता व लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता व लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न है।
2.	प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न नहीं है। अतः प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न संलग्न कर आनलाइन भाग-2 में व्यास वैज्ञानिक नाम सहित विवरण फीड करें।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न संलग्न कर आनलाइन भाग-2 में व्यासावार वैज्ञानिक नाम सहित विवरण फीड कर दिया है।

14 D/Dman/Lt/Etah/47261 of 2020

Scanned with CamScanner

3.	प्रस्ताव को साथ इको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना त्रुटिपूर्ण संलग्न की गयी है। अतः सही एन०पी०वी० गणना संलग्न करे।	एन०पी०वी० की गणना संशोधित कर संलग्न की गयी है।
4.	मलवा उत्सर्जन का विवरण इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय निदेशक प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न है, किन्तु निर्धारित प्रारूप में नहीं संलग्न किया गया है। अतः निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड की कार्यवाही की जा रही है।
5.	ऑनलाईन भाग-2 में संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि का विवरण अलग.अलग फीड नहीं किया गया है।	ऑनलाईन भाग-2 में संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि का विवरण अलग.अलग फीड कर दिया गया है
6.	ऑनलाईन भाग-2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है। अतः ऑनलाईन भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड कर धनराशि भी फीड करें।	ऑनलाईन भाग-2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन व धनराशि अपलोड की कार्यवाही की जा रही है।

सलग्नक . उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता, जनपद निर्माण–द्वितीय, 2 X 660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मलावन, एटा (उ0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में प्रेषित।

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक : 152 / 14-1, एटा दिनांक: 26-7-2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ वृत्त, अलीगढ।

विषयः जनपद एटा के अन्तर्गत एटा रेलवे स्टेशन से 2 x 660 वाट जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना तक (19.603 कि0मी0) में प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में एटा वन प्रभाग की प्रभावित होने वाली (0.3683 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 3.8386) हे0 आरक्षित वनभूमि) कुल 4.2069 हे0 भूमि का गैर वानिकी प्रयोग 05 वृक्ष एवं 228 पौधे/झाड़ी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव FP/UP/Rail/47261/2020

संदर्भः– इस कार्यालय के पत्रांक– 149/14-1 दिनांक 23.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 23.07.2021 को श्री अनिल कुमार, सीनियर टैक्नीकल डाईरेक्टर, एन0आई0सी0, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर– 9871955289 श्री विकास कुमार से मौखिक वार्ता की गई उनके द्वारा Any Desk एप पर कम्प्यूटर को कनेक्ट किया गया उनके द्वारा स्वंय उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन को अपलोड करने का प्रयास किया गया तथा उनके द्वारा ही प्रस्ताव को लॉक भी कर दिया गया। किन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन अपलोड नहीं हुआ जिससे उनके द्वारा स्वंय स्वीकारा गया कि तकनीकी त्रुटि है। इसके उपरान्त स्वंय तकनीकी समस्या को दूर करने हेतु समय मॉगा गया। कल दिनांक 25.07.2021 वृत्त कार्यालय से प्राप्त मौखिक निर्देशों के क्रम में प्रस्ताव से सम्बन्धित संशोधित एन0पी0वी0 प्रपत्र व क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन की पी0डी0एफ0 (सॉफ्ट कॉपी) ई–मेल द्वारा सादर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 26/07/21

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियन्ता जनपद निर्माण - द्वितीय 2x660 मेगावाट जवाहर तापीय विद्युत परियोजना जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मलावन एटा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग
एटा।

D/man
26/7

DFM.
कार्यदायी संस्था को RF के लोकेशन यूनिट उपलब्ध कराने की undertaking प्राप्त करा ली जाए।
26/7/2021

संशोधित

नेट प्रजेन्ट वैल्यू (NPV) की गणना

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक 28.03.2008 तथा 09.05.2008 को पारित आदेशों के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय अधीशाषी अभियंता निर्माण खण्ड–प्रथम जे0टी0पी0 पी0 मलावन–एटा द्वारा एटा रेलवे स्टेशन से 2 X 660 वाट जवाहरपुर विधुत तापीय परियोजना तक (19.603 कि0मी0) में प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में एटा वन प्रभाग की प्रभावित होने वाली 0.3683 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में प्रभावित आरक्षित वन क्षेत्र/संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने वाली आरक्षित व संरक्षित वन भूमि की एन.पी.वी. की गणना निम्न प्रकार है :–

1. संरक्षित वन भूमि –

स्थल का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल हे0 में	ईको क्लास	धनत्व	प्रति हे0 वैल्यू रू0 में	कुल वैल्यू रू0 में
लोया बादशाहपुर (पीतमसिंह) (नहर बेवर ब्रांच)	संरक्षित वन	0.2328	III	0	6,26,000	145733.00
कीलरमऊ (अलीगंज रोड)		0.1355				84823.00
योग:–		0.3683				230556.00

2. आरक्षित वन भूमि –

क्र0सं0	स्थल का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल	ईको क्लास	धनत्व	प्रति हे0 वैल्यू रू0 में	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शीतलपुर	आरक्षित वन	0.9970	III	0.1	6,26,000	624122.00
2	शीतलपुर		0.3184				199318.40
3	शीतलपुर		1.5682				981693.20
4	शीतलपुर		0.3390				212214.00
5	भटमई		0.6160				385616.00
			3.8386				2402963.60
			योग			OR	2402964.00
			महायोग				2633520.00

नोट :– प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण में एटा वन प्रभाग की प्रभावित आरक्षित वन भूमि 3.8386 हे0 भूमि के बदले यूजर एजेन्सी द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

26/07/21

(एस0के0राम)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

Scanned with CamScanner

(उ0प्र0 सरकार का एक उपक्रम)
Jawaharpur Vidhyut Utpadan Nigam Ltd.
(A UP Govt. Undertaking)
CIN: U40102UP2009SGC038142

JAWAHARPUR
VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER(HQ)
2×660मेवा जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना
2X660MW JAWAHARPUR THERMAL POWER PROJECT
मलावन, एटा (उ0प्र0)–207001
MALAWAN, ETAH (U.P)-207001
Email:gm.jawaharpur@uprvunl.org

पत्रांक सं0: /मु0अभि0/अधी0अभि0(मु0)/2×660मेवा0/ दिनांक : 26 जुलाई, 2021

विषय :– वन विभाग की संरक्षित/आरक्षित श्रेणी की भूमि के बदले अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी,
एटा वन प्रभाग,
एटा। इं–मेल–dfoetah@gmail.com

सूचित करना है कि जवाहरपुर परियोजना हेतु कोयले एव तेल की आपूर्ति हेतु निर्माणाधीन रेल ट्रैक के लिए कय की जाने वाली भूमि मे 0.3683 हेक्टेयर संरक्षित तथा 3.8386 हेक्टेयर आरक्षित श्रेणी की भूमि आ रही है। आरक्षित श्रेणी की भूमि के बदले मे ग्राम निगोहसनपुर, एटा मे भूमि कय कर ली गयी है, तथा वन विभाग के निर्देशानुसार उपलब्ध करा दी जायेगी। यहा यह भी सूचित करना है कि वन भूमि की संदर्भित भूमि के कय सम्बन्धी आन लाइन प्रस्ताव संख्या SP/UP/Rail/4721/2020 dated 18-12-2020 स्वीकार कर लिया गया है।

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)

पत्रांक सं0: 546 /मु0अभि0/अधी0अभि0(मु0)/2×660मेवा0/ तद् दिनांक : 26 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–II) , 2×660 मेवा, जवाहरपुर तापीय परियोजना, मलावन, एटा।
2. मुख्य अभियन्ता (जानपद) , 2×660 मेवा, जवाहरपुर तापीय परियोजना, मलावन, एटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जानपद निर्माण मंडल–II, , 2×660 मेवा, जवाहरपुर तापीय परियोजना, मलावन, एटा।
4. अधिशासी अभियन्ता जानपद निर्माण खण्ड–I, 2×660 मेवा, जवाहरपुर तापीय परियोजना, मलावन, एटा।

26/7/21

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)

पत्रांक सं0: /मु0अभि0/अधी0अभि0(मु0)/2×660मेवा0/ तद् दिनांक 26 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ इ–मेल–cfaligarh@gmail.com को सूचनार्थए एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)

Scanned with CamScanner